Ban On Cow Slaughter

*399. SHRI RAMJIBHAI MAVANI :
SHRI UTTAMBHAI H. PATEL :
Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that on 25 July, 1983 at Delhi "Cow Protection promise day" had been observed and a big procession was taken out from Red Fort to Boat Club, New Delhi;

(b) Whether it is also fact that a delegation met and discussed with the Prime Minister and Agriculture Minister and also have handed over Memorandum in regard to complete ban on cow slaughter;

(c) if so, the details thesof;

(d) the action taken thereon and outcome thereof; and

(e) whether any assurance from Prime Minister, Agriculture Minister and Government were given to them and if so, the action taken to implement the assurances ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINSTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGEDRA MAKWANA) : (a) About 150 to 200 workers of the All India Go-Sangrakshan Parished took out a procession from Gauri Shankar Mandir near Red Fort to Boat Club the 25th July, 1983.

(b) and (c) No delegation has met the Prime Minister and handed over a Memorandom to her regarding the ban on cow slaughter. Recently one delegation led by Shri Ashok Jain, President, FICCI and another by Shri Keyur Bhushan, M.P. met the Minister of Agriculture. They wanted a ban on cow slaughter in the States where it does not exist through a Central Legislation and strict implementation of the Acts in the States.

(d) and (e) Delegations were assured by the Minister of Agriculture that the Government of India was pursuing the Policy enunciated in the Directives Principles and had been impressing on the States the need to enforce the existing laws.

श्री रामजी भाई मावणि : क्या यह सच है कि 1979 में स्वर्गीय आचार्य विनोबा भावे ने गो-हत्या को बन्द कराने के लिए अनशन किया था और उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी अनशन किया था और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया था ? क्या यह भी सच है कि स्वर्गीय आचार्य विनोबा भावे के सहयोगी, श्री बदरीनारायण गाडोदिया, ने मई, 1983 में उपवास किए थे ? क्या यह भी सच है कि माननीय ससद्-सदस्य श्री कैयूर भूषण को प्राइम मिनिस्टर की ओर से लिखित रूप से यह आश्वासन दिया गया था कि हम इसके बारे में सोचेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वर्गीय आचार्य विनोबा भावे और श्री बदरीनारायण गाडोदिया के अनशन के समय और श्री कयूर भूषण को जो आश्वासन दिया गया है, उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Sir, it is a fact that Vinoba Ji and others observed the fast on this issue. But, it is primarily a State subject. It falls within the List II of the Seventh Schedule. Therefore, it is not possible for the Central Government to enact a common law. But, however, the Prime Minister has written letters to the Chief Ministers of the States to enforce their law very strictly. The Agriculture Minister has also written letters.

श्री रामजी भाई मावणि : क्या यह सच है कि सातवीं लोक सभा में इस विषय पर पूरा डिसकशन किया गया और सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि हम इसके बारे में सेन्ट्रल ऐक्ट बनाएंगे और सब स्टेट्स में गो-हत्या-बन्दी लागू की जाएगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस बारे में डिसक्शन तो बहुत दफा हुआ है और बहुत दफा यह भी कहा गया है कि हम इस बारे में राज्यों को लिखेंगे —और लिखते भी रहे हैं और उन्हे कहते भी रहे हैं कि इस कानून का पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। लेकिन यह कभी नहीं कहा गया है कि इस बारे में सेन्ट्रल लॉ इनेक्ट होगा, क्योंकि यह एक स्टेट सबजेक्ट है।

श्री उत्तमभाई एच० पटेल : आचार्य विनोबा भावे ने 1982 में अपने जन्म-दिन पर लिखित रूप से यह जाहिर किया था कि कृषि-प्रधान भारत में किसी भी उम्र के गाय-बैल के कत्ल को कानून द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। अनुभव यह है कि जब तक केन्द्रीय कानून द्वारा किसी भी उम्र के गाय-बैल के वध पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, तब तक हम उपयोगी गाय बैलों को नहीं बचा सकते। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में केन्द्रीय कानून बनाने के लिए कौन से कदम उठाने जा रही है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने यह बात बार-बार कही है कि यह स्टेट सबजेक्ट है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : काहे का स्टेट सबजेक्ट है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : वाजपेयी जी, इसीलिए कि आप ही उसके लिए लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्टेट्स की पावर पर सेन्टर एन्क्रोचमेंट कर रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सच नहीं है कि इन दिनों बड़े पैमाने पर गौ मांस का निर्यात किया जा रहा है ?

क्या यह भी सच नहीं हैं कि निर्यात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये अच्छी गाय और अच्छे बैलों को नकारा और निरुपयोगी बताकर कत्ल किया जा रहा है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : टैलों के लिये है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केवल टैलों के लिये नहीं है। टैलों का हम आयात कर रहे हैं और गौ मांस का निर्यात कर रहे हैं। क्या गौ मांस का निर्यात करना भी राज्य का विषय है ? क्या केन्द्रीय सरकार गौ मांस के निर्यात को रोक नहीं सकती ? क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले में कदम उठाने को तैयार है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह बात सही नहीं है कि गौ मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है। The export of beef is banned.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Sir, this is a serious matter. Beef is being exported as buffallo meat.

MR. SPEAKER : He is there on record. You can give me motion under rule 111.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Sir, allow me to ask for a clarification. It is not a fact that beef is being exported as buffallo meat ?

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, अब नहीं। श्री केयूर भूषण।

श्री केयूर भूषण : कृषि मंत्री द्वारा अभी आश्वासन दिया गया है कि कानून का ठीक से प्रदेशों में पालन किया जायेगा। इस आश्वासन के आधार पर कोई निर्देश केन्द्र से गया है क्या ?

क्या कानूनों का पालन वहां हो रहा है ?

बम्बई में जहाँ पर महाराष्ट्र का कानून है कि उपयोगी बैलों को काटा नहीं जायेगा,

फिर भी वहां पर उपयोगी बैलों को अनुपयोगी बनाकर काटा जा रहा है। इसके विपरीत, यह कानून वहां ठीक से लागू हो इसके लिये डेढ़ वर्ष से लगातार सत्याग्रह चल रहा है। उसी तरह से 15 तारीख को अभी-अभी मुगलसराय यार्ड में भी और उत्तर प्रदेश में भी यह कानून है कि उपयोगी जो बैल और गाय हैं, उनको कत्ल करने के लिये बाहर नहीं भेजा जायेगा, लेकिन वहां पर रेल द्वारा इन्हें बाहर भेजा गया है। कानून के अमल के लिये वहां भी सत्याग्रह किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर सत्याग्रहियों पर लाठी-चार्ज हुआ ?

अंतिम रूप से यह पूछ रहा हूं कि दुधारु गाय और उपयोगी बैलों की संख्या क्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है ? इस कमी को रोकने के लिए और दुधारु गाय और उपयोगी बैलों को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : ये तीनों सवाल एक ही बात है।

अध्यक्ष महोदय : सवाल सीधा सा है कि टैलो को बन्द किया, यह भी बन्द किया जाये। इस पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध किया जाये।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी पत्र लिखा है इम्प्लीमैंटेशन की मशीनरी स्टेट गवर्नमैंट की होती है, उसमें भारत सरकार क्या कर सकती है ? हम ज्यादा से ज्यादा चीफ मिनिस्टर्स को रिक्वैस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं और उसको परस्यू कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो स्टेट के लॉ को इम्प्लीमैंट कराये।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : मैं जानना चाहता हूं कि जितने आदेश केन्द्र से मुख्य मंत्रियों को गये हैं, वह कौन-कौन से मुख्य मंत्री हैं और कौन-कौन सी प्रदेश सरकारें हैं जो केन्द्र के सुझावों को मानने के लिये तैयार नहीं हैं ?

क्या यह सच है कि गौ मांस को विदेश में एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : दूसरी बात मैंने पहले कही कि बैन लगाया गया है। जो पहली बात है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी चीफ मिनिस्टर ने अभी तक यह नहीं कहा है, सब ने यही कहा है कि जो लॉ उनके स्टेट के अन्दर बनाया गया है उस का अच्छी तरह से इम्प्लीमैंटेशन हो रहा है।

SHRI E. BALANANDAN : Sir, on religious grounds if eating of cow is banned, those who are not bound by these kinds of religious objections, and lakhs of people all over the country, are eating beef. Therefore, any State Government should be given the full freedom to implement the direction of the Central Government relating to the requirments of each particular State, looking to the position which is prevailing in each State. Therefore, Sir, will the Government take that step ? This is my question.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : The Directive Principles to be followed by the State Governments are very clear in this regard. For the information of the Hon. Member, I would like to read it so that he can know about it. Article 48 of the Directive Principles of State Policy states as follows :

> "The States shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle."

So, this position is made very clear in our Constitution itself, as Direction has been given to all the State Governments to ban cow slaughter and its progeny.

SHRI INDRAJIT GUPTA : What about non-Hindus ? Non-Hindus are also compelled not to eat the cow.

श्री हीरा लाल परमार : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में अभी बताया कि भारत सरकार गऊ की रक्षा के लिए अपनी नीति और नियमों के ऊपर कटिबद्ध है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या गोवंश का कत्ल रोकने की कोई नीति भारत सरकार की है या नहीं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मुझे बार-बार यह कहना पड़ता है, आप देखें :

Entry No. 15 of List II of the Seventh Schedule of the Constitution is very clear in this regard. It is very clear that it is a State subject. As I have already said, we can only prevail upon the States to implement the laws which they have already enacted. In case the law is not enacted, we can request the State Government concerned to make a law. But today, the Government of India cannot to anything more than this.

राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन

*400. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्नों का कोटा आवंटित करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कोई वैकल्पिक प्रबंध करने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की प्रति इकाई मात्रा कम कर दी गई है; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार उपभोक्ताओं को प्रति इकाई कितना खाद्यान्न सप्लाई किया जा रहा है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI M. S. SANJEEVI RAO) : (a) to (d) Allotments of foodgrains to the various States/Union Territories are made on a month to month basis taking into account the availability of stocks in the Central Pool, relative needs of the various States, market availability, and other related factors. As a result of monthly reviews, the allocations are increased/decreased, where necessary. The allocations from the Central Pool are only supplemental in nature and the need of the population have to be met through free market mechanism, supplemented by the public distribution system.

(e) and (f) No, Sir. There is no reduction, so far as allocations from the Central Pool are concerned. However, the method of distribution, its coverage within the State, and the scale of issue to the consumers, are all decided by the State Governments, keeping in view the various factors that may prevail from time to time in various places in their jurisdiction.

प्रो० अजित कुमार मेहता : बिहार राज्य में सूखे की स्थिति भयानक है और उसका अधिकांश भाग सूखे से प्रभावित है । वैसी स्थिति में यह कहना कि भण्डार से